

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक: एफ 21 (30) 08 / विधि / प्रमुवसं / 15327-15451 दिनांक 5.12.16

निमित्त,

श्री.....महान् वन अधिकारी जयपुर.....

मुख्य वन संरक्षक,.....समस्त.....

उप वन संरक्षक,.....समस्त.....

विषय:-कैटलगार्ड के पद से वनरक्षक एवं कनिष्ठ लिपिक के पद पर समायोजन
उपरान्त नियुक्त कर्मचारियों के चयनित वेतनमान के संबंध में।

महोदय,

विषयान्तर्गत निर्देशानुसार लेख है कि कैटलगार्ड के पद पर कार्यप्रभारित रूप से कार्य कर रहे कर्मिकों का समायोजन उपरान्त नियुक्ति वनरक्षक एवं कनिष्ठ लिपिक के पद पर किया गया था। उक्त समायोजन उपरान्त नियुक्त कर्मचारियों ने कैटलगार्ड के पद पर अर्द्धस्थाई किये-जाने की तिथि से सेवा की गणना करते हुये चयनित वेतनमान चाहे जाने बाबत एस बी याचिका संख्या 3620/2008 देवकृष्ण दरोगा एवं अन्य बनाम राज्य एवं अन्य के नाम से प्रस्तुत की गई जिसमें माननीय न्यायालय जोधपुर ने दिनांक 06.02.2012 को निर्णय पारित करते हुये अर्द्धस्थाई किये जाने की तिथि से चयनित वेतनमान दिये जाने के निर्देश दिये थे। श्री देवकृष्ण दरोगा के निर्णय के आधार पर माननीय उच्च न्यायालय जयपुर/जोधपुर द्वारा विभिन्न याचिकाओं को निस्तारित किया जा रहा है।

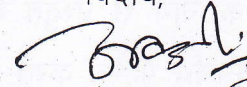
श्री देवकृष्ण दरोगा की याचिका के निर्णय दिनांक 06.02.12 के संबंध में वित्त विभाग के स्तर से परीक्षणोंपरान्त यह निर्णय हुआ कि समायोजन उपरान्त नियुक्त किये गये कर्मचारी उच्च पद एवं उच्च वेतन श्रृंखला में समायोजन उपरान्त नियुक्त हुये हैं। अतः इन्हें वनरक्षक/कनिष्ठ लिपिक के पद पर समायोजन उपरान्त नियुक्त किये जाने के दिनांक से ही सेवा की गणना करते हुये चयनित वेतनमान देय होगा।

वित्त विभाग की टिप्पणी के मध्यनजर एस बी याचिका संख्या 3620/2008 देवकृष्ण दरोगा एवं अन्य बनाम राज्य एवं अन्य के निर्णय दिनांक 06.02.2012 के संबंध में माननीय

उच्च न्यायालय जोधपुर में एस बी सि विविध प्रार्थना पत्र संख्या 113/2016 प्रस्तुत की गई। जिससे माननीय न्यायालय स्वीकार करते हुये दिनांक 22.07.2016 को नोटिस जारी किये किये है। इस प्रकार श्री देव कृष्ण दरोगा का निर्णय दिनांक 06.02.2012 अन्तिम रूप से निस्तारित निर्णय नहीं माना जा सकता है।

श्री देव कृष्ण दरोगा के निर्णय दिनांक 06.02.2012 के आधार पर अथवा उक्त आधार पर निर्णित किसी अन्य निर्णय के आधार पर चयनित वेतनमान का लाभ अर्द्धस्थायी किये जाने की तिथि से देय नहीं बनता है। अतः इस संबंध में आपको निर्देशित किया जाता है कि जब तक देव कृष्ण दरोगा के प्रकरण में प्रस्तुत विविध प्रार्थना पत्र का अन्तिम रूप से निस्तारण नहीं हो जाता है तब तक अर्द्धस्थायी किये जाने की तिथि से चयनित वेतनमान के लाभ के कम में किसी भी कार्मिक को दिनांक 05.12.2016 के पश्चात मुख्यालय की अनुमति के बिना भुगतान नहीं किया जावे। यदि इनके भुगतान के बिल कोषालय में लम्बित है तो उन्हें तत्काल विज्ञा किया जावे। अगर बिना अनुमति भुगतान किया गया तो मुख्य वन संरक्षक, /उप वन संरक्षक, की व्यक्तिशः जिम्मेदारी होगी एवं उनके विरुद्ध नियम अनुसार कार्यवाही की जावेगी।

भवदीय,


(ए.के.सिंह) 31/12/2016

अति.प्रधान मुख्य वन संरक्षक,

(श्रम एवं विधि,)

राजस्थान जयपुर।

512/116